चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता / 1172
दिनांक :–18.01.2005

सचिव,
प्रिंस इंस्टी0 ऑफ इनोवेटिव टैक्नोलोजी,
डी–16 सैक्टर –9 न्यू विजय नगर,
गाजियाबाद।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या–ई.स./5846/जी.एस. दिनांक 09.11.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37(2) तथा संधोशन अधिनियम 2003 की धारा–5 के परन्तुक **प्रिंस इंस्टी0 ऑफ इनोवेटिव टैक्नोलोजी, गाजियाबाद** को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम मे सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो मे अधीन दिनांक 01.07.2004 से अगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही भूमि महाविद्यालय के नाम रजिस्ट्री कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लेगा एवं निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिणक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर **प्रिंस इंस्टी0 ऑफ इनोवेटिव टैक्नोलोजी, गाजियाबाद** को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से अगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान क़ी जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी,गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल ,चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव